

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 33/2021

उनवान

1. भूरा पुत्र श्री मोडा दरोगा नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
2. रूप लाल पुत्र श्री नाना कुम्हार नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
3. कालू लाल पुत्र श्री नाना लाल कुम्हार नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
4. श्रीमती श्यामु पत्नि श्री जगदीश दरोगा नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
5. समुन्द्र पुत्र श्री नानू दरोगा नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
6. बालू पुत्र श्री नानू दरोगा नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
7. कल्याण पुत्र श्री मोडा दरोगा नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
8. मदन पुत्र श्री परथू दरोगा नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
9. रामचन्द्र पुत्र श्री मोडा नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 20.12.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.07.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा प.ह. औज्याडा भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 455 की कृषि भूमि की आ०न० 1985 रकबा 0.3035है०, आराजी नम्बर 1986 रकबा 0.4046है०, आराजी नम्बर 1987 रकबा 0.3414है०, आराजी नम्बर 1996 रकबा 0.9484है०, आराजी नम्बर 1997 रकबा 0.2276है०, आराजी नम्बर 2338/1994 रकबा 0.1897है० कुल किता 06 रकबा 2.4152है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 एवं 09 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं ग्राम औज्याडा प.ह. औज्याडा भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 455 की कृषि भूमि की आ०न० 1985 रकबा 0.3035है०, आराजी नम्बर 1986 रकबा 0.4046है०, आराजी नम्बर 1987 रकबा 0.3414है०, आराजी नम्बर 1996 रकबा 0.9484है०, आराजी नम्बर 1997 रकबा 0.2276है०, आराजी नम्बर 2338/1994 रकबा 0.1897है० कुल किता 06 रकबा 2.4152है०, जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1000/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)